प्रसंगश:

आलोक मेहता

न्याय के लिए मेनका की तराजू

भैंस, बकरी, भेड़, मछली, मुर्गी मारकर निर्यात से अरबों की कमाई पर नहीं कोई आपत्ति

सलमान खान को हिरण मारने के प्रकरण में जमानत मिलने पर मेनका गांधी भड़क गईं। जमानत अदालत ने दी क्योंकि कानून में इसका प्रावधान है। लेकिन पशुओं के जीवन और अधिकारों से जुड़े हर मामले के लिए मेनका गांधी स्वयं को सबसे बड़ा न्यायाधीश मानती हैं। कल्पना कीजिए- त्रेता युग में सीता के आग्रह पर श्रीराम द्वारा स्वर्ण मृग पर तीर चलाने के बाद रावण से पहले मेनका गांधी को अदालत में रामजी को हाजिर कर दिया जाता। सीता की खोज और रावण के कब्जे से रिहाई के प्रयास की कोई दलील सुनने के बजाय मेनका जी कम से कम 14 वर्ष के ऐसे सख्त कारावास की सजा सुनातीं, जिसकी सुनवाई किसी ऊंची अदालत या दरबार में नहीं होती। बहरहाल, वन्य प्राणी संरक्षण कानून के उल्लंघन का आरोप सिद्ध होने के बाद सलमान को सजा मिलने या शाकाहार प्रोत्साहन अभियान पर किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। लेकिन हम जैसे पत्रकारों ने मेनका गांधी के बेहद करीबी कई मित्रों (नेताओं-संपादकों-कलाकारों) को होटलों में हर किस्म का कच्चा-पक्का मांस बेहद भूखड़ ढंग से खाते हुए देखा है। इसी तरह भाजपा नेतृत्व वाली जिस सरकार में मेनका गांधी मंत्री रहीं, उसने भारत से मांस निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए। स्वाभाविक है कि मांस का निर्यात बढ़ाने और भारत में पहले से रही मांग को पूरा करने के लिए उनकी भागीदारी वाली सरकार ने अधिक संख्या में पशु-पक्षियों को मारे जाने के लिए पशुपालकों और मांस व्यापारियों को हर संभव सुविधाएं प्रदान कीं ताकि उनके मुनाफे में वृद्धि हो। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर मेनका गांधी के सहयोगी पूर्व मंत्री या अन्य अधिकारी गौरव से दावा करते रहे हैं कि पशु मांस की खरीद-फरोख्त में भारत अग्रणी देश माना जाना चाहिए क्योंकि हमारे यहां 9 करोड़ 30 लाख भैंस, 5 करोड़ 70 लाख भेड़, 12 करोड़ 30 लाख बकरियां, 1 करोड़ 60 लाख सुअर हैं। मतलब 21 करोड़ पशु और 40 करोड़ से अधिक मुर्गियों के बल पर भारत मलेशिया, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान, जोर्डन, सऊदी अरब, ओमान, कुवैत, कतर, बांग्लादेश, जर्मनी, थाईलैंड, जापान, यमन, कांगो जैसे देशों में मांस तथा डेयरी उत्पादों का निर्यात निरंतर बढ़ा रहा है।

धर्म रक्षा की तरह पशु रक्षा के नाम पर पाखंड करने वाले लोगों को क्या इस बात की जानकारी नहीं है कि भारत उन गिने-चुने देशों में माना जाता है, जहां घरेलू बाजार में मांस की सर्वाधिक खपत होती है। केरल, पश्चिम बंगाल तथा पूर्वोत्तर राज्यों में गोमांस (बीफ) की छूट है। सरकारी परिभाषा के अनुसार 'पशुओं' की श्रेणी में गाय, बैल, बछड़ा, सांड शामिल हैं। भैंस, बकरी, भेड़ इस श्रेणी से अलग हैं। अकेले केरल में 95 प्रतिशत लोग मांसाहारी हैं। प्रदेश के बूचड़खानों में प्रतिवर्ष लगभग 15 लाख पशु, 40 लाख भेड़-बकरियां, 3 लाख सुअर और 2 करोड़ 50 लाख मुर्गियां अथवा अन्य पक्षियों को मारा जाता है। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार सन 2005 में मुर्गियों और अन्य पक्षियों के लगभग 19 लाख टन मांस की खपत देश में हुई। उदारीकरण के दौर में प्रतिवर्ष लगभग 10 लाख 93 हजार पशुओं, 1 करोड़ से अधिक भैंसों, 1 करोड़ 77 लाख भेड़ों, 4 करोड़ 50 लाख बकरियों और 40 लाख 19 हजार सुअरों को मारकर बाजार में बेचा जा रहा है। भारत में करीब 60 लाख टन मांस बाजार में आता है और मांस के निर्यात से करीब 2,400 करोड़ रुपये की कमाई होती है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में हमारी सरकार और व्यापारी अधिक मांस बेचने के लिए यह दलील भी रखते हैं कि इसमें फैट और कोलेस्ट्रोल अन्य देशों के मांस की तुलना में कम रहता है। गाय के मांस (बीफ) की बिक्री पर प्रतिबंध है लेकिन भैंसों का मांस (जैसे अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसे कोलो बीफ ही कहा जाता है) धड़ल्ले से दुनिया भर में बेचा जा रहा है।

> सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार सन 2005 में मुर्गियों और अन्य पक्षियों के लगभग 19 लाख टन मांस की खपत देश में हुई।

इतने भारी-भरकम आंकड़े पढ़कर संभव है कुछ शाकाहारी पाठकों को वितृष्णा-सी होने लगे। इसलिए अपने आलोचकों या पाठकों के लिए यह स्पष्ट करना जरूरी है कि मैं जन्म से कट्टर शाकाहारी रहा हूं और यूरोप ही नहीं, चीन, जापान, जर्मनी या घाना-तंजानिया जैसे देशों में भी मांस या अंडा छुए बिना मुझे सब्जी-फल-पनीर इत्यादि से काम चलाने में कोई कठिनाई नहीं हुई। लेकिन इसका मतलब नहीं कि शाकाहार को सही मानने वाले मांसाहारियों और शिकारियों को दुनिया के सबसे बड़े अपराधी या पापी मानने लगें। सार्वजनिक जीवन में सक्रिय अभियानकर्ता दुर्लभ पशुओं के शिकार पर पहले से लगे प्रतिबंधों पर अमल से अधिक चिंता इस बात की क्यों नहीं करते कि भारतीय शहरों और गांवों में बूचड़खानों की स्थिति सुधारी जाए, स्थानीय प्रशासन उनके प्रबंध को ठीक करे, विदेशों की तरह मांस की उपलब्धता तथा बिक्री के लिए अच्छे पशु-मुर्गी फार्म विकसित हों? दूसरी तरफ छोटे स्तर पर मांस के धंधे से जुड़े गरीब लोगों की स्वास्थ्य रक्षा, आर्थिक शोषण से मुक्ति के लिए अभियान चलाना क्या अधिक जरूरी नहीं है? सड़कों-गलियों में दौड़ते पागल कुत्तों और साधारण बस्तियों को भयाक्रांत करने वाले बंदरों की रक्षा के लिए दिन-रात तूफान मचाने वाली मेनका गांधी ने महानगर दिल्ली से छोटे कस्बों तक में कुत्ते-बंदर के हमलों से शिकार मासूम लोगों को समुचित दवाई उपलब्ध कराने के लिए कितना ध्यान दिया? बंदरों का उत्पात बढ़ गया लेकिन बंदर या भालू पालकर पेट पालने वाले गरीब लोग खुद भूखे मरने लगे। राजस्थान में हिरण का शिकार करने वाले को सजा दिलाने के लिए चिंतित पशु-प्रेमियों ने कभी इस बात की चिंता क्यों नहीं की कि इसी प्रदेश में सामंती मानसिकता वाला वर्ग मासूम लड़कियों के शोषण, जन्म से पहले कन्या की हत्या, दहेज अत्याचार में बहुत आगे है और ऐसे अपराधियों को वर्षों तक कोई सजा ही नहीं मिल पाती? बंगाल में पशु हत्या अपराध और कोलकाता के मंदिर के आंगन में नियमित रूप से दी जाने वाली पशु बलि पुण्य। बंदर-भालू का नाच दिखाने वाला अपराधी और रेसकोर्स में घोड़े दौड़ाकर लाखों रुपया कमाने वाले देवता। फिल्म में घुड़सवारी देखकर जिन्हें रोना आने लगता है, उन्हें दिन-रात टीवी चैनल और फिल्मों में घृणित सेक्स या हत्या के दृश्यों पर कभी आपत्ति नहीं होती। पशु संरक्षण अभियान चलाने वाले दूध तथा डेयरी उत्पाद को खाने को भी अनुचित बताते हैं। अब श्रीकृष्ण की पूजा-अर्चना करने वाले देश में दूध को जहरीला बताने तथा दुग्ध पान पर आपत्ति करने को क्या माना जाएगा? असल में यह सब राजनीतिक जीवन में कुछ ढोंग-पाखंड चलाने के फॉर्मूले हैं। अन्यथा दिल्ली में सड़क पर आवारा पशुओं के घूमने से होने वाली दुर्घटनाओं पर अंकुश के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अमल में कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं को साथ रखकर ठोस परिणाम लाए जा सकते थे। दिल्ली ही नहीं, मुंबई, अहमदाबाद, लखनऊ, पटना, जयपुर जैसे अनेक शहरों में आवारा पशुओं के कारण दुर्घटनाओं से हर साल पचासों लोग मर रहे हैं। लेकिन पशुओं के कारण होने वाली हत्याओं के लिए दोषियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए आज तक कोई अपील नहीं की गई। मांसाहार विरोधी और शाकाहार का प्रचार करने वाली मेनका जी और उनकी समर्थक पार्टियां या अन्य संगठन सब्जी-फल उगाने और बेचने वालों को मरने से बचाने के लिए अभियान क्यों नहीं चलाते? ●